

कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)



नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह फरवरी के 28 वे दिन नगर परिषद दौसा (जिन्हें इसके बाद नगर परिषद कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सरस्वती सैमोरियाल स्टूड जेनरल हा.नीरु निवासी पुत्र श्री 11/10 डा. रतन निवासी जाति ब्राह्मण व्यवसाय डाक्टर निवासी बन्दिपार निवासी अमरगोपाल (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उल्लेखिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सांक्ष्यिकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना पापेल्ट नगर राजस्व ग्राम पंच दौसा के खसरा संख्या 13/3/2 क्षेत्रफल 3.000 वर्ग मीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 192.000 रुपये एक बारीय अर्थात् एक लाख नब्बे हजार रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल सैमोरियाल प्रयोजन, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम - 26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरित/ बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

Office of the Tehsileder Dausa (Raj)

S.No. 3127

Date 28/5/15

Non – Encumbrance Certificate

This is to certify that the land under following description is lying and situated at khasra no. 13/3/1 & 13/3/2 as plot no. 126/1&126/2 of chak dausa Teh-dausa Dist- Dausa 303303 has been duly mutated with our records.

It is also certified that as per land records the land under reference is free from all In encumbrance & is an absolutely Possession of Saraswati Memorial Trust Dausa. Who are legal owner of land.

Land Details-

- 1- Total area of land – (2509.29+2187.54) 4696.83 sqm.
- 2- Classification - land use in patta an Institutional
- 3- Khasra No. - 13/3/1 & 13/3/2 Plot no. 126/1 & 126/2
- 4- Revenue Village - Chak Dausa Teh-Dausa Dist- Dausa (Rajasthan)

The above land were registered in the name of saraswati memorial trust dausa in the office of Sub. Registrar , Dausa

Bounded by North - land of Tiwari Hospital P. Ltd.
 East - land of Tiwari Hospital P. Ltd.
 West - Pilot Nagar
 South - 20 feet Road

This is also certified in the connection that land revenue Payble against this land has been cleread up to date by Saraswati Memorial Trust dausa.

②
28/5/15



Tehsileder
Dausa

BUILDING COMPLETION CERTIFICATE

I **Satyendra Agarwal** hereby certify that that the institution namely **Saraswati College of Teacher's Training , Dausa** situated at **Agra road , Dausa** have personally inspected the land and building mentioned in the statement below and the same is based on the registered documents, data measurements and specifications found in the site.

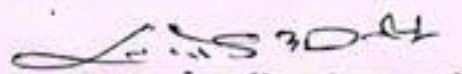
1.	Name of the society/trust i.e. Management of the institution	Saraswati Memorial Trust
2.	The society/trust i.e. management of the institution is having the PAN/TAN No.	Copy enclosed: Yes AAATS6710R
3.	Name of the institution	Saraswati College of Teacher's Training
4.	A certificate from the competent authority to the effect that the society sponsoring the instruction has transferred and vest the title of the land and building in the name of the institution as per clause 8 (7) (v) of the NCTE Regulations, 2009 Note: Clause 8(7) (iv) of the NCTE Regulation, 2009 provides that "the society sponsoring the institution shall be required to transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period for s six months from the date of issue of formal recognition order under sub-regulation (11) of Regulation 7. However, in case, the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence, of its inability to do so."	A copy of the certificate is required to be enclosed by all recognized institutions within a period of six months from the date of issue of formal recognition order under sub- regulation (11) of Regulation 7 of the NCTE Regulation, 2009. Copy enclosed: Yes
5.	Location with khata/khasra/Street No./ Ward No., Name of the Place, Corporation/Municipality/Panchayat.	13/3/1 & 13/3/2, Chak Dausa Ward No. 34 Nagar Parishad, Dausa
6.	Date of Registration of Land	28/02/2013 and 27/05/2015
7.	Registered in the office of Sub-Registrar/Tehsildar with address	Sub Registrar, Dausa

8.	The location of the land of the institution is in a single plot or different plots	Single Part		
9.	If the location of the land of the institution is not in a single plot the distance of different plots be mentioned.	Nil		
10.	Type of ownership of land	Patta		
11.	Building plan approved by (address of Corporation /Municipality/ Panchayat/ any other Govt. Agency	Nagar Parishad, Dausa		
12.	Year of completion of construction of the building	2015		
13.	Purpose for which the building is being used /proposed to be used	Institution		
14.	Electricity connection No.	0716 / 0548		
	Telephone connection No.	9414035456		
	Water connection No.	Nil		
15.	Total land area of the institution	4696.83 Sq.m.		
	Total built up area of the institution	6700.19 Sq.m.		
16.	Total land area earmarked for particular teacher training programme alongwith name of the course	4696.83 Sq.m.		
	Total built up area earmarked for particular teacher training programme alongwith name of the course	D.El.Ed.	2500.00 Sq.m.	
		B.Ed.	2100.00 Sq.m.	
		B.A. B.ed./Bsc. B.ed. 2100.00 Sq.m.		
17.	Details of construction of building (Roofing – pl. mention RCC / Asbestos / Tiled / any other pl. Specify) • (the column to be filled up in case the building of the institution is of more than one floor)		Area	Roofing
		Ground Floor	Sq.ft. 23875.00	23875.00
		First Floor*	Sq.ft. 23875.00	23875.00
		Second Floor*	Sq.ft. 23875.00	23875.00
		Total built up area	71625.00 Sq.ft.	71625.00 Sq.ft.

18. Details of Land Use Certificate for Educational purposes from the concerned Govt. authorities/any other govt. local body details thereof. (*)	Date of issue of Certificate 28/02/2013 Issued by : Nagar Parishad, Dausa Provisions of the law under which the concerned issuing authority is empowered for issuance of CLU _____
---	--

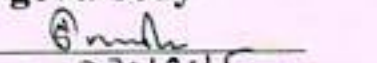
On verification of the above on site, I hereby certify that:-

- The land & building of the institution is exclusively meant for running teacher training programme. The institution campus, building, furniture etc. is barrier free. There is no temporary structure, asbestos/tin sheet sheds available in the building. Safeguard against fire hazard has been provided in all parts of the building.
- The building of the institution is constructed keeping in view the provisions and bye-laws of the building construction as per the Bureau of Indian Standards and the same is structural safe and secure to run the teacher training course.
- The construction of the building is completed in all respects and the building is structurally sound to be used for Educational purposes and having the load bearing capacity as per the latest Indian Standards.


 Satyendra Agarwal
 Signature with Seal
 Civil Engineer

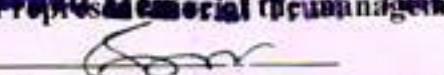
Name of the approved/authorised Engineer/Architect	Satyendra Agarwal. CAT-11-3968
Designation	Civil Engineer.
Office Address	B-2 Lucky Tower (along Road Dausa,

Certified by the competent govt. authority/local govt. body


 27.10.15
 Signature with Seal
 Executive Engineer
 Municipal Council, Dausa

Name of the competent authority	K. L. Meena
Designation	XEN
Office Address	Nagar Parishad Dausa

Countersigned by the authorized representative of the institution.


 Signature with Seal

Name of the authorized representative of the society/trust running the teacher training programme.	DR. RATAN TIWARI Chairman - SRT.
Designation	Chairman
Name of the society/trust	SARASWATI MEMORIAL TRUST
Office Address	Tiwari House, Behind Raj Hotel, Dausa (Raj)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



राजस्थान RAJASTHAN

E 165930



श्री

उपहार पत्र

मैं तिवाड़ी हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर जरिये डॉ० रतन तिवाड़ी उम्र 54

..2..


Tiwari Hospital & Medical Research Centre
Agra by 125 Junction
DAUSA (Raj.)
For Saraswati Memorial Trust

Trustee

वर्ष पुत्र श्री देवीसहाय जी शर्मा (तिवाड़ी) जाति ब्राह्मण निवासी आगरा रोड दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान का प्रणकर्ता उपहारकर्ता प्रथम पक्ष हूँ।

प्रथम पक्ष उपहारकर्ता

बहक

सरस्वती मेमोरियल ट्रस्ट दौसा, जरिये ट्रस्टी डा० निरु तिवाड़ी उम्र 49 वर्ष पत्नी श्री डॉ० रतन तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी तिवाड़ी हाउस रेल्वे स्टेशन के पास दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान ।

द्वितीय पक्ष उपहारगृहिता

जो कि वाके कस्बा दौसा के राजस्व ग्राम चक दौसा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 13/3/1 आगरा रोड दौसा पर प्रथम पक्ष के कब्जे व स्वामित्व का संस्थानिक उपयोग का प्लॉट नम्बर 125/2, 126/2 स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 6347 वर्गगज या 5309 वर्गमीटर है। उक्त प्लॉट की चतुर्थ सीमा पूर्व में अन्य रिक्त भूमि, पश्चिम में प्लॉट नम्बर 116, 117 व 126/1, उत्तर में प्लॉट नम्बर 125/1 व दक्षिण में रास्ता 40 फिट चौड़ा स्थित है। उक्त प्लॉट का राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)-नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख कार्यालय नगर परिषद, दौसा से प्रथम पक्ष के हक में दिनांक 19 मार्च 2013 को जारी होकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय दौसा में दिनांक 20.03.2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 284 में पृष्ठ संख्या 37 कम संख्या 2013002821 पर प्रथम पक्ष के हक में पंजीबद्ध हुआ है।

यह है कि उक्त वर्णित प्लॉट के दक्षिण दिशा में रास्ता 40 फिट चौड़ा दर्शा रखा है। जबकि उक्त प्लॉट के दक्षिण दिशा में रास्ता 20 फिट चौड़ा है। जिसके बाबत कार्यालय नगर परिषद, दौसा से दिनांक 25.05.2015 को एक संशोधन पत्र जारी कर दिया। उक्त संशोधन पत्र का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय दौसा में दिनांक 26.05.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 338 में पृष्ठ संख्या 166 कम संख्या 2015001583 पर प्रथम पक्ष के हक में पंजीबद्ध हुआ है।

उक्त वर्णित प्लॉट में से प्लॉट नम्बर 125/2 पर प्रथम पक्ष ने पुख्ता निर्माण करवा रखा है। व प्लॉट नम्बर 126/2 पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त प्लॉट नम्बर 126/2 के पश्चिम दिशा व दक्षिण दिशा पर वाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। अन्य कोई निर्माण नहीं है।

For Saraswati Memorial Trust
Trustee
Tiwari Memorial Medical Research Centre
Agar Road, Dausa

उक्त वर्णित प्लॉट पर आज रोज प्रथम पक्ष का वहैसियत मालीक कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। कब्जा व स्वामित्व होने के कारण उक्त वर्णित प्लॉट को रहन विक्रय व ट्रांसफर व उपहार करने करने के सम्पूर्ण अधिकार आज रोज प्रथम पक्ष को प्राप्त है। इसलिये उक्त वर्णित प्लॉट नम्बर 125/2, 126/2 कुल क्षेत्रफल 6347 वर्गगज या 5309 वर्गमीटर मे से प्लॉट नम्बर 126/2 का पश्चिम दिशा की तरफ का भाग उत्तर से दक्षिण आर-पार जिसकी पैमाईश पूर्वी भुजा 334 फिट $10\frac{1}{2}$ इंच, पश्चिमी भुजा 310 फिट, उत्तरी भुजा 67 फिट व दक्षिणी भुजा 79 फिट कुल क्षेत्रफल 2615.33 वर्गगज या 2187.54 वर्गमीटर भाग द्वितीय पक्ष को उपहार किया जा रहा है। उक्त उपहार किये जा रहे भाग की चतुर्थ सीमा पूर्व मे प्लॉट नम्बर 126/2 का शेष भाग प्रथम पक्ष का, पश्चिम मे प्लॉट नम्बर 126/1, उत्तर मे प्लॉट नम्बर 125/2 प्रथम पक्ष का व दक्षिण मे रास्ता 20 फिट चौड़ा स्थित है। उक्त वर्णित प्लॉट को आज से पूर्व प्रथम पक्ष ने किसी अन्य को रहन बैय व ट्रांसफर व उपहार नहीं किया है।

यह है कि उक्त प्लॉट मुझ प्रथम पक्ष के उपयोग का नहीं होने के कारण मुझ प्रथम पक्ष ने उक्त वर्णित संस्थानिक प्लॉट नम्बर 125/2, 126/2 कुल क्षेत्रफल 6347 वर्गगज या 5309 वर्गमीटर मे से प्लॉट नम्बर 126/2 का पश्चिम दिशा की तरफ का भाग उत्तर से दक्षिण आर-पार जिसकी पैमाईश पूर्वी भुजा 334 फिट $10\frac{1}{2}$ इंच, पश्चिमी भुजा 310 फिट, उत्तरी भुजा 67 फिट व दक्षिणी भुजा 79 फिट कुल क्षेत्रफल 2615.33 वर्गगज या 2187.54 वर्गमीटर भाग जो उपरोक्त सीमाओं से घिरा हुआ वाके कस्बा दौसा के राजस्व ग्राम चक दौसा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 13/3/1 आगरा रोड दौसा पर स्थित है को बिना किसी प्रतिफल के (निशुल्क) द्वितीय पक्ष सरस्वती मेमोरियल ट्रस्ट दौसा, जरिये ट्रस्टी डा० निरु तिवाडी पत्नि श्री डॉ० रतन तिवाडी जाति ब्राहमण निवासी तिवाडी हाउस रेल्वे स्टेशन के पास दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान के हक व हित मे अपनी स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिफल के उपहार कर दिया है। उक्त उपहार किये जा रहे भाग को मुझ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में बिना किसी प्रतिफल के (निशुल्क) अपनी स्वेच्छा से उपहार किया है।

यह है कि प्रथम पक्ष ने स्नेह से पूरित होकर उक्त उपहार किये जा रहे प्लॉट के सारे अधिकारों के साथ अपनी इच्छा से उक्त द्वितीय पक्ष को उपहार करता हूँ व कब्जा सुर्पद करता हू तथा अन्तरित, हस्तान्तरित, अदायगी व उसकी पुष्टि करता हूँ।

यह है कि प्रथम पक्ष उक्त उपहार किये जा रहे प्लॉट का एक मात्र स्वामी है। तथा उसे उक्त प्लॉट के हक को उपहार करने, हस्तान्तरित करने, अन्तरित करने तथा निवर्तन करने का अधिकार है एवं एतद् द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, द्वितीय पक्ष के हक में उक्त प्लॉट का हक निवर्तन, हस्तान्तरित, अन्तरिम करता हूँ एवं उक्त उपहार किये गये प्लॉट पर द्वितीय पक्ष को सदैव शान्तिपूर्वक, निश्चिन्त रूप से प्रवेश करने, अपने पास रखने, धारण करने व उस पर आधिपत्य रखने एवं उसे अपने उपयोग व उपभोग में लाने का पूर्ण हक होगा व पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहेगा।

यह है कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लॉट को उपहार में लेना स्वीकार करता है व उक्त उपहार किये जा रहे प्लॉट को मुझ प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से वापिस लेने का हक भविष्य में नहीं होगा और मेरे वारीसानों को भी भविष्य में उक्त उपहार किये जा रहे प्लॉट को द्वितीय पक्ष से वापिस लेने का कोई हक नहीं होगा।

यह है कि उक्त उपहार किये जा रहे प्लॉट के मूल्यांकन व तथ्य प्रथम पक्ष के बताये अनुसार निम्नलिखित हैं।

उक्त उपहार किया जा रहा प्लॉट वाके कस्बा दौसा के राजस्व ग्राम चक दौसा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 13/3/1 आगरा रोड दौसा पर स्थित है। उक्त प्लॉट नेशनल हाईवे से करीब 1/4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उक्त प्लॉट 20 फिट के रास्ते पर स्थित है। उक्त उपहार किये जा रहे प्लॉट के दक्षिण दिशा की तरफ वाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। अन्य कोई निर्माण नहीं है। उक्त उपहार किया जा रहा प्लॉट संस्थानिक उपयोग का है। उक्त प्लॉट पर आज रोज कोई मुकदमा लम्बित नहीं है। स्वामित्व के बाबत रजिस्टर्ड पट्टे की फोटो प्रति उपहार पत्र के साथ संलग्न है।

यह है कि उक्त उपहार किये जा रहे प्लॉट पर आज के बाद द्वितीय पक्ष काबिज रहकर पुरखा निर्माण करे, एक मंजिला बहुमंजिला निर्माण करावे, किराये पर उठावे, अपने नाम से नल, बिजली व टेलीफोन कनेक्शन लेवे, व नगर परिषद दौसा से अपने नाम निर्माण इजाजत प्राप्त करे, अपने नाम नामान्तरकरण खुलवावे, एवं उक्त प्लॉट किसी अन्य को रहन विक्रय व ट्रांसफर करे एवं अपने किसी भी तरह से उपयोग व उपभोग में लेवे एवं किसी वित्तीय संस्था से लोन लेवे तो मुझ प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उज्र नहीं होगा।



उप पजीयक, दौसा। र.स।



Agre

For Sarawati Memorial Trust ..5..



Trustee

यह है कि उक्त उपहार किये जा रहे प्लाट के समस्त अधिकार जो मुझ प्रथम पक्ष को प्राप्त थे वे समस्त अधिकार आज के बाद द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेंगे व मेरे वारिसान मौजूदा आयन्दा कानूनी का कोई हक व उज्र नहीं होगा। तथा मेरे वारिसान मौजूदा आयन्दा व कानूनी का किसी प्रकार का उक्त उपहार किये जा रहे प्लाट में कोई अधिकार नहीं रहेगा।

यह है कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट को आज के बाद किसी अन्य को रहन बैय व ट्रान्सफर व उपहार करना चाहे तो मुझ प्रथम पक्ष को व मेरे वारिसानों को कोई आपत्ति व उज्र नहीं होगा। अर्थात आज के बाद उक्त उपहार किये जा रहे प्लाट के सम्पूर्ण अधिकार रहन विक्रय व ट्रान्सफर व उपहार के द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेंगे।

उक्त उपहार पत्र में मुझ प्रथम पक्ष के बताये अनुसार ही सम्पूर्ण तथ्य अंकित किये गये हैं जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी व जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष की होगी। उक्त उपहार पत्र का अवलोकन व मूल्यांकन सब रजिस्ट्रार साहब स्वयं फरमावे।

अतः यह उपहार पत्र मुझ प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त से पूर्ण होश हवास में बिना किसी नशे पते व बिना किसी आग्रह व बिना किसी दवाब के स्टाम्प कीमती 1000/- रुपये कि किता एक व पेपर किता चार कुल किता पाँच टाईप कराकर पढकर पढाकर सुनकर समझकर सही होना स्वीकार करके गवाहन के समक्ष अपनी जिम्मेदारी पर अपने हस्ताक्षर कर दिये जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। दिनांक 27.05.2015

ह.साक्षीगण

ह. प्रथम पक्ष उपहारकर्ता

1- रमेश चंद शर्मा

C रामेश चंद शर्मा 8/0 जमील खान (तिवाड़ी हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर)
2 लाला लाल शर्मा (जरिये डॉ० रतन तिवाड़ी)

2-

जमील खान 8/0 जमील खान
श्रीशान मोहोला वरिष्ठ

ह० द्वितीय पक्ष उपहारगृहिता

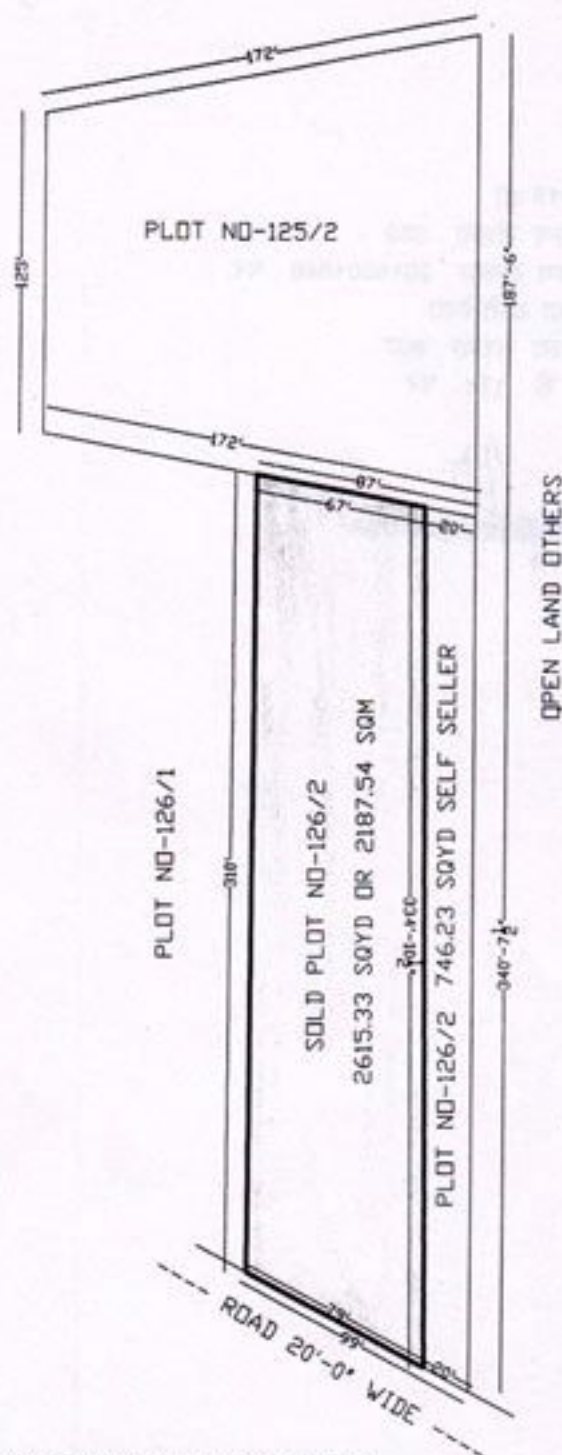
For Sarvagana Memorial Trust

(सरस्वती मेमोरियल ट्रस्ट दौसा,
(जरिये ट्रस्टी डा० निरु तिवाड़ी)

SELLER- TIWADI HOSPITAL & MEDICAL RESERCH CENTRE THRU DR. RATAN TIWADI S/O SH. DEVI
SF HAY TIWADI AGRA ROAD DAUSA
BUYER- SARASWATI MEMORIAL TRUST THRU DR. NEERU TIWADI W/O DR. RATAN TIWADI NIWASI
TIWADI HOUSE DAUSA.

PLOT NO-125 $\frac{1}{2}$, 126 $\frac{1}{2}$ TOTAL LAND AREA -6347 SQYD OR 5309.00 SQM

SOLD LAND AREA -PLOT NO-126 $\frac{1}{2}$ WEST SIDE-2615.33 SQYD. OR 2187.54 SQM
PROPERTY SITUATED AT CHAK DAUSA KHASRA NO-13/3/1 AGRA ROAD DAUSA.



NOTE- SOLD LAND AREA SHOWN BY RED COLOUR.

SIG SELLER

SIG BUYER